न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– संजू पारीक आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रकरण संख्या– 28/2022

1. पालाराम पुत्र अर्जन जाति धानक साकिन चक नं. 16 एन.टी.आर. तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।

–अपीलान्ट

बनाम

1. मु. पारी बेवा अर्जन **(फौत)** नाम **कलमजन**।
2. रामकुमार पुत्र अर्जन जाति धानक साकिन चक न. 16 एन. टी. आर. तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
3. मांगेराम पुत्र अर्जन जाति धानक साकिन चक न. 16 एन. टी. आर. तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
4. रणजीत पुत्र अर्जन जाति धानक साकिन चक न. 16 एन. टी. आर. तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
5. पूर्णराम पुत्र बुधराम **(फौत)**।

5/1– जीयाराम पुत्र पूर्णराम **(फौत)**।

5/1/1–सन्तो पत्नी जीयाराम जाति धानक साकिन रामगढ़ तहसील नोहर।

5/1/2–राममूर्ति पुत्र जीयाराम जाति धानक साकिन रामगढ़ तहसील नोहर।

5/1/3–कुलदीप पुत्र जीयाराम जाति धानक साकिन रामगढ़ तहसील नोहर।

5/1/4–रानी पुत्री जीयाराम जाति धानक साकिन रामगढ़ तहसील नोहर।

5/1/5–सरोज पुत्री जीयाराम जाति धानक साकिन रामगढ़ तहसील नोहर।

5/2–इन्द्राज पुत्र पूर्णराम जाति धानक साकिन रामगढ़ तहसील नोहर।

5/3–लालचन्द पुत्र पूर्णराम जाति धानक साकिन रामगढ़ तहसील नोहर।

5/4–रोहताश पुत्र पूर्णराम जाति धानक साकिन रामगढ़ तहसील नोहर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.09.04 16:01:19 IST
Reason: SelfAttested

6. मु. बिदामी बेवा हजारी (फौत) नाम **कलमजन**।
7. रूलीराम पुत्र हजारी जाति धानक साकिन रामगढ़ तहसील नोहर।
8. रामपत उर्फ रामचन्द्र पुत्र हजारी (फौत) नाम **कलमजन**।

8/1–सुलतान पुत्र रामचन्द्र जाति धानक साकिन रामगढ़ तहसील नोहर।

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

 Continue.........

8/2–श्रवण पुत्र रामचन्द्र जाति धानक साकिन रामगढ़ तहसील नोहर।

8/3–प्रेम पुत्र रामचन्द्र जाति धानक साकिन रामगढ़ तहसील नोहर।

8/4–राकेश पुत्र रामचन्द्र जाति धानक साकिन रामगढ़ तहसील नोहर।

8/5–सोनिया पुत्र रामचन्द्र जाति धानक साकिन रामगढ़ तहसील नोहर।

8/6–तारो पत्नी रामचन्द्र जाति धानक साकिन रामगढ़ तहसील नोहर।

9. मु. चन्दो पत्नी हजारी **(फौत)** नाम **कलमजन।**

10. मांगेराम पुत्र हजारी जाति धानक साकिन रामगढ़ तहसील नोहर।

11. प्रतापसिंह पुत्र जयलाल **(फौत)**।

11/1–सतवीर पुत्र प्रतापसिंह जाति चमार साकिन सुरपुरा हाल रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।

12. मनीराम पुत्र ख्यालीराम **(फौत)**।

12/1–प्रेम कुमार पुत्र मनीराम जाति धानक साकिन रामगढ़ तहसील नोहर।

12/2–हरीशकुमार पुत्र मनीराम जाति धानक साकिन रामगढ़ तहसील नोहर।

12/3–कमला पुत्री मनीराम जाति धानक साकिन रामगढ़ तहसील नोहर।

12/4–देवेन्द्र पुत्र मनीराम **(फौत)**।

12/4/1–बिमला पत्नी देवेन्द्र जाति धानक साकिन रामगढ़ तहसील नोहर।

12/4/2–चन्द्रमोहन पुत्र देवेन्द्र जाति धानक साकिन रामगढ़।

12/4/3–योगेश पुत्र देवेन्द्र जाति धानक साकिन रामगढ़ तहसील नोहर।

12/4/4–रिनू पुत्री देवेन्द्र जाति धानक साकिन रामगढ़ तहसील नोहर।

13. सुरेश पुत्र जयकिशन जाति धानक साकिन रामगढ़ तहसील नोहर।

14. रामीदेवी बेवा जयकिशन जाति धानक साकिन रामगढ़ तहसील नोहर।

15. भजाराम पुत्र लालचन्द (फौत) नाम **कलमजन।**

15/1–राजू पुत्र भजाराम जाति धानक साकिन रामगढ़ तहसील नोहर।

15/2–सुरेन्द्र पुत्र भजाराम जाति धानक साकिन रामगढ़ तहसील नोहर।

15/3– कृष्णा पत्नी भजाराम जाति धानक साकिन रामगढ़ तहसील नोहर।

16. कृष्ण पुत्र लालचन्द जाति धानक साकिन रामगढ़ तहसील नोहर।

17. धोलूराम पुत्र लालचन्द जाति धानक साकिन रामगढ़ तहसील नोहर।

18. बनवारी पुत्र रामू **(फौत)** नाम **कलमजन**।

18/1– धर्मपाल पुत्र बनवारी जाति धानक साकिन रामगढ़ तहसील नोहर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.09.04 16:01:19 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

Continue.........

18/2– रणवीर पुत्र बनवारी जाति धानक साकिन रामगढ़ तहसील नोहर।

19. महेन्द्र पुत्र रामू जाति धानक साकिन रामगढ़ (**फौत**) नाम **कलमजन**।

19/1– बिमला पत्नी महेन्द्र जाति धानक साकिन रामगढ़ तहसील नोहर।

19/2– सोनु पुत्र महेन्द्र जाति धानक साकिन रामगढ़ तहसील नोहर।

19/3– सुभाष पुत्र महेन्द्र जाति धानक साकिन रामगढ़ तहसील नोहर।

19/4–कविता पुत्री महेन्द्र पत्नी रमेश जाति धानक साकिन भिरानी तहसील भादरा।

20. बद्री पुत्र रामू जाति धानक साकिन रामगढ़ तहसील नोहर।

21. झीण्डूराम पुत्र प्रताप पुत्र रामू जाति धानक साकिन रामगढ़ तहसील नोहर।

22. महीपत पुत्र प्रताप पुत्र रामू जाति धानक साकिन रामगढ़ तहसील नोहर।

23. महावीर पुत्र प्रताप पुत्र रामू जाति धानक साकिन रामगढ़ तहसील नोहर।

24. मु. किताबो बेवा प्रताप पुत्र रामू जाति धानक साकिन रामगढ़ तहसील नोहर।

25. देवीलाल पि.मु. नत्थूराम जाति धानक साकिन रामगढ़ तहसील नोहर।

26. छोटी बेवा नत्थूराम (**फौत**) नाम **कलमजन**।

27. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

–रेस्पोडेन्टस

उपस्थितः– श्री हवासिंह पूनियां अधिवक्ता अपीलांट।

श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–5/3 5/4, 7, 8/1, 8/3, 8/4, 10, 12/1, 12/2, 13, 21 ता 23, 25

निर्णय — दिनांकः–28.08.2025

अपीलांट पालाराम पुत्र अर्जन जाति धानक साकिन चक न. 16 एन.टी.आर. तहसील नोहर द्वारा तहसीलदार राजस्थ नोहर द्वारा दिनांक 10.4.95 को पारित निर्णय, जिसमें चक नं0 14 डी. पी. एन.की भूमी का खाता तक्सीम किया गया, को निरस्त कर पुनः खाता तक्सीम करवाने बाबत, अपील पेश की गई है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है:–

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.09.04 16:01:19 IST
Reason: SelfAttested

1. चक न. 14 डी. पी. एन. तहसील नोहर के प0 390/440 (73) कि नं. 16 ता 19 की 4 बीघा, 22 ता 25 की 4 बीघा, प0नं0 390/440(28) कि.नं0 11 ता 14 की 4 बीघा, 16 ता 24 की 8 बीघा, प.नं. 390/441(81) कि.नं0 1 की 0.15, 2 की 0.12, 3 की0. 10, 4 की 0.13, 5 की 0.6, प.नं0 389/441(86) कि.नं0 1 की 1.00, 2 की 1 बीघा, 3 की 18 बिस्वा, 4 की 15 बिस्वा, 5 की 15बिस्वा कुल 26.18 बीघा भूमि में अपीलांट

 Continue.........

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

एवं रेस्पोडन्ट नं0 1 ता 4 ब.हि.ब. 1/6 हिस्सा रेस्पोडेन्ट नं0 5 का 1/12 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट नं. 6 से 8 की 1/12 हिस्सा रेस्पोडेन्ट नं0 9 व 10 ब.हि.ब. 1/12 हिस्सा रेस्पोडेन्ट नं0 11 का 1/12 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट नं0 12 का 1/12 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट नं0 13 व 14 का 1/12 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट, 15 से 17 का 1/12 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट नं0 18 ता 20 का 3/48 हिस्सा रेस्पोडेन्ट 21 ता 24 का 1/4 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट नं0 25 व 26 का 1/6 हिस्सा के काबिज खातेदार काश्तकार है एवं चक 16 डी. पी.एन तहसील नोहर के प.नं0 389/441(32) किला नं0 6 की 10 बिस्वा, 7 की 10 बिस्वा, 8 की 7 बिस्वा 9 की 5 बिस्बा, 10 की 5 बिस्बा, प.नं0 390/441(33) कि.नं. 7 की 1 बीघा, 8 की 18 बिस्वा, 9 की 15 बिस्वा, 10 की 13 बिस्बा 11 ता 14 की 4 बीघा, 18 ता 20 की 3 बीघा कुल 22–05 बीघा भूमि में अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट सं0 1 ता 4 ब0हि0ब0 1/6 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट नं.9 का 1/12 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट नं0 6 ता 8 का 1/12 हिस्सा, रेस्पोन्ट नं0 9 व 10 का 1/12 हिस्सा रेस्पोडेन्ट नं0 11 का 1/4 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट नं0 12 का 1/12 हिस्सा रेस्पोडेन्ट नं0 13 व 14 का 1/12 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट नं0 15 से 17 का 1/12 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट नं0 18 से 20 का 3/48 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट 21 ता 24 का 1/48 हिस्सा के काबिज खातेदार काश्तकार है।

2. रेस्पोडेन्ट ने दिनांक 27.3.95 को खाता विभाजन बाबत तहसीलदा राजस्व नोहर के सम्मुख प्रार्थना–पत्र पेश किया, जिसके साथ सहमति पत्र बटाम्प 5/– रूपये व नक्शा चक 16 डी. पी. एन. व 14 डी. पी. एन. पेश किया, जिस पर मातहत अदालत ने स्टाम्प समय अवधि पार बताया व पुनः नया स्टाम्प प्राप्त करना लिखा, जिस पर पटवारी हल्का ने नया स्टाम्प प्राप्त करना बताकर आदेशा चाहा, जिस पर मातहत अदालत द्वारा सभी पक्षकारो के बयान लिये जाकर प्रस्ताव पेश करने का आदेश दिया, उसके बाद पटवारी हल्का ने बिना पक्षकारों के बयान लिये अदालत को गुमराह कर खाता तक्सीम का आदेश प्राप्त कर लिया एवं खाता अलग–अलग कायम कर दिया। इस प्रकार सारी कार्यवाही साजिसाना एवं अदालत को गुमराह करके पटवारी हल्का द्वारा करवाती गई है, जो किसी भी प्रकार से कानूनन सम्मत नही होने की वजह से खारीज [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.09.04 16:01:19 IST
Reason: SelfAttested

3. अपीलाट हस्ताक्षर करता [illegible] कबूल नही करवाये गये सिर्फ प्रार्थना–पत्र पर अपीलां[illegible] गया है एवं सहमत पत्र पर ना तो हस्ताक्षर है एवं ना ही फर्जी, अंगुठा ल[illegible] गया, इस प्रकार सारी कार्यवाही साजिसाना एवं फर्जी तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य अपीलॉट को नुकसान

Continue.........

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

पहुँचाना है। इसलिये बिना सहमति के खाता विभाजन करवाया गया है, जो विधि के मान्य सिद्धान्तो के खिलाफ होने की वजह से निरस्त योग्य है।

4. मातहत अदालत ने सभी कामतकारों की सहमति होने पर ही खाता विभाजन का अधिकार है जबकि कोई काश्तकार नाराज हो तो इस प्रकार से खाता तक्सी करने का क्षेत्राधिकार नही, उसके बाद भी साजिसाना कार्यवाही कर निर्णय किया है, जो निरस्त योग्य है।

5. दोनो चको की कुल 49.03 बीघा भूमि में अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट नं0 1 ता 4 का 1/6 हिस्सा है लेकिन खाता तक्सीम में कुल 9–08 बीघा में 1/3 हिस्सा दिया गया है। उक्त खाता तक्सीम का उदेश्य सिर्फ अपीलाट को उसके हक व हिस्सा से कम भूमि देकर नुक्सान पहुँचाने का है। खाता तक्सीम में भूमि कम ज्यादा की गई है उससे स्पष्ट होता है कि मातहत अदालत ने पहले घोषणा की डिक्री पारित है और उसके बाद खाता है विभाजन किया है मातहत अदालत को सिर्फ जिस काश्तकार का पिता का हिस्सा बनता इसी हिस्सा का सहमति के आधार पर खाता तक्सीम करने का क्षेत्राधिकार है। किसी की भूमि कम ज्यादा करके खाता तक्सीम करने का क्षेत्राधिकार नही है, निर्णय इसी आधार पर निरस्त योग्य है।

6. मातहत अदालत ने खाता तक्सीम करने से पूर्व अपीलाट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया ना ही कोई नोटिस जारी किया गया और ना ही कोई सूचना दी गई सिर्फ अपीलॉट को नुक्सान पहुँचाने के लिये झूठा अंगूठा लगा कर खाता तक्सीम किया है। कानूनन अपीलांट को सूचना दी जाकर और उसकी सहमति से ही खाता तक्सीम करना चाहिये था, ऐसा नही कर मातहत अदालत ने विधि के मान्य सिद्धान्तो की अवहेल की है इसलिये निर्णय निरस्त योग्य है।

7. खाता विभाजन मात्र राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ है। वास्तविक रूप से आज तक मुताबिक विभाजन कब्जा प्राप्त नही हुआ है अब रेस्पोडेन्ट खाता विभाजन के मताबिक कब्जा प्राप्त करने की ऐलानिया धमकी देते है। तब जाकर अपीलॉट को खाता तक्सीम कराने का ज्ञान प्राप्त हुआ। उससे पूर्व ज्ञान नही था, ज्ञान होते ही खाता विभाजन के निर्णय की नकल दिनांक [illegible] को प्राप्त हुई।

अतः अपील अपीलॉट पेश कर निवेदन है कि [illegible] दिनांक 10.04.1995 निरस्त कर पत्रावली तहसीलदार राजदेव नोहर को प्रतिप्रेषित की जावे कि सभी पक्षकारों की सहमति ली जाकर उसके हक हिस्सा के अनुसार खाता तक्सीम की कार्यवाही करें।

पत्रावली पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–02 एंव रेस्पोडेन्ट संख्या– 5/3 5/4, 7, 8/1, 8/3, 8/4,

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.09.04 16:01:19 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

10, 12/1, 12/2, 13, 21 ता 23, 25 की ओर से श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एडवोकेट उपस्थित हुये। रेस्पोडेन्ट संख्या 5/1/3, 5/1/4, 5/1/5, 5/2, 8/2, 8/5, 8/6, 11/1, 12/3, 12/4/1, 12/4/2, 12/4/3, 12/4/4, 14, 16, 17, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 20 तामिल होनें के बाद भी उपस्थित नहीं हुये। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 5/1/3, 5/1/4, 5/1/5, 5/2, 8/2, 8/5, 8/6, 11/1, 12/3, 12/4/1, 12/4/2, 12/4/3, 12/4/4, 14, 15/1, 15/2/15/3, 24, 16, 17, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 20 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 27 अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर से अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली तलब की गई।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर द्वारा दिनांक 10.04.1995 खाता विभाजन किया गया। खाता विभाजन बाबत तहसीलदार नोहर को दिनांक 27.03.1995 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। समस्त पक्षकारान के बयान के बिना ही तहसीलदार नोहर के समक्ष पत्रावली पेश की गई। अपीलांट की सहमती के बिना ही खाता विभाजन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किये खाता विभाजन में रकबा कम–ज्यादा किया गया है। सहमती पर समस्त पक्षकारान के हस्ताक्षर नहीं है। जहां मैरिट में दम होतो म्याद को ध्यान में नहीं रखा जाता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.04.1995 को किये खाता विभाजन को खारिज किया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील में चक 14 डी.पी.एन. के खाता विभाजन को चुनौती दी गई। लेकिन दिनांक दिनांक 10.4.1995 को तहसीलदार नोहर द्वारा समहती के आधार चक 14 डी.पी.एन. एंव 16 डी.पी.एन. की भूमि का खाता विभाजन किया गया। समस्त पक्षकारान की सहमती के आधार पर खाता विभाजन किया गया। खाता विभाजन में भूमि कम–ज्यादा हो सकती है। समस्त काश्तकारों के सहमती पत्र पर हस्ताक्षर करवाये गये। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया खाता विभाजन सहमती के आधार पर किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एंव अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली का अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.04.1995 को किये गये खाता विभाजन में [illegible]लांट [illegible] अंगुठा निशान लगा हुआ है। दिनांक 27.03.1995 तहसीलदार नोहर को [illegible] प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर भी अपीलांट का अंगुठा निशान लगा हुआ है, जिससे यह साबित होता है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त काश्तकारों की सहमति से खाता विभाजन किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.09.04 16:01:19 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Continue.........

अतः न्यायालय के मत में तहसीलदार नोहर द्वारा लगभग 30 वर्ष पूर्व किये गये खाता विभाजन में हस्तक्षेप करनें का कोई औचित्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त पक्षकारान/काश्तकारों की सहमति से ही दिनांक 10.04.1995 को किया गया खाता विभाजन न्यायौचित है। अपील अपीलांट खारिज योग्य होनें से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 28/8/25 को सरेइजलास सुनाया गया

(संजू पारीक आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.09.04 16:01:19 IST
Reason: SelfAttested